आ० 3.6.98

संख्या-750/15(1)/98-14(9)77/97टी०सी०

प्रेषक,

राकेश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।

सं०शि०नि०(बे०)
शिक्षा(1) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक 19 मई, 1998

विषय:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण (बी०टी०सी०) कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया में कतिपय संशोधन।

-x-x-x-x-x-

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-925/15(1)/97-14(3)/95 दिनांक 26 मई, 19.. द्वारा बी०टी०सी० प्रवेशपरीक्षा हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये थे जिसमें कतिपय बिन्दुओं पर शासन द्वारा विचारोपरान्त संशोधन/परिवर्तन किये गये हैं। जिन बिन्दुओं में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है वे निम्नवत् है:-

3-प्रवेश परीक्षा में बैठने की पात्रता:- बी०टी०सी० प्रवेश परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पात्र होंगे जो उसी जनपद के निवासी हों जहां प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर रहे हों तथा जिन्होंने फार्म भरने के पूर्व स्नातक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। जिनकी आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ होने वाले वर्ष की पहली जुलाई को 19 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक न हो तथा उसमें ऐसी शारीरिक अक्षमता न हो, जिससे अध्यापन कार्य बाधित हो। न्यूनतम आयु में किसी प्रकार की छूट देय न होगी/अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा समस्त महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी।

5- प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध स्थान/सीट का आवंटन :- शासनादेश दिनांक 16-5-96 द्वारा महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 50प्रतिशत सीटकी व्यवस्था कर दी है जिसे यथावत रखा जायेगा। विज्ञान विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 50, 50 प्रतिशत सीट आरक्षित होंगी। वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में सीटों का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा।

अ-मैदानी/पर्वतीय क्षेत्र के लिए 150 सीटप्रति डायट प्रति वर्ष।

2---

9-क- बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क 100 रुपया प्रति अभ्यर्थी निर्धारित किया जाये,

उक्त शासनादेश दिनांक 26-5-97 में उल्लिखित अन्य बिन्दु यथावत रहेंगें,

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह0 अपठनीय

।राकेश कुमार ।
अनु सचिव।

संख्या-750।।।/15।।।।/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक।बेसिक। उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ ।
2- शिक्षा निदेशक।मा0।उ0प्र0, 18 पार्क रोड, लखनऊ ।
3- रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, शिक्षा विभाग, उ0प्र0,इलाहाबाद।
4- संयुक्त शिक्षा निदेशक,।प्रशिक्षण।उ0प्र0, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

ह0 अपठनीय

। राकेश कुमार ।
अनु सचिव।